

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव


साबरीदास / भगाराम जाति साधुक्रिष्ण / केसरदास / केजाराभ जाति साधु क्रिष्ण  
काबलीर तहसील हाल निवासी जसेल काबलीर तहसील (2)  
तहसील पदर जिला-बाठकेर (5)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88, 91, 138 RT Act अधि. मुकदमा नम्बर 53/2018


तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	---

4/4/2018

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री केसरदास भारी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 91, 138 RT Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.4.18 को पेश हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव


26.4.18

पत्रावली पेश हुई। निस्तारण की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली लोक अदालत कैम्प में रखी जाती है। पक्षकारान को नोटिस जारी होकर पत्रावली व मुकाम कैम्प दिनांक 18.5.18 को पेश हो।  
  
उपखण्ड अधिकारी शिव

साबरीदास

केसरदास  
साबरीदास

18/5/18

पत्रावली व मुकाम कैम्प कोर्ट / लोक अदालत कैम्प काबलीर में पेश हुई। चूंकि काबलीर का कैम्प में निस्तारण नहीं हुआ। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली आइन्दा 25/7/18 को पेश हो।  


25.7.18 प्रार्थी/अपीलोट के वकील उप. प्रार्थना पत्र/विप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के वकील को नोटिस/सम्मन/पत्रावली होकर पत्रावली आइन्दा 9.8.18






5.1.26

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
केंद्रीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा  
दिनांक 12.2.26 को पेश हो।


12.02.26

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।  
पत्रावली वाले फॉर पत्रनरान के जयम  
मुकाम की कार्यवाही हेतु दिनांक 12.03.26  
को पेश हो।  
  
सहायक कलक्टर  
शिव (वाइमेर)

12.3.26

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने।  
इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 27.4.26 को पेश हो।

27.4.26

पत्रावली पेश। वाकुलाय अनुपरिचत।  
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालय  
सभ्य में उभयपक्ष व अधिवक्तागण को  
रुक-रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद  
कोर्ट में उपरिचत नहीं। अतः पत्रावली में  
उभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपरिचत  
रहने पर अइम हाजरी व अइम पैरवी  
में खारिज की जाती हैं।  
पत्रावली नंबर से कम होकर दोखिल  
दफतर हो।  
  
सहायक कलक्टर  
शिव (वाइमेर)